न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला आई.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 45/2018

1.काफिया पुत्री अलानूर पत्नी सत्तार खॉ उम्र 52 वर्ष जाति मुसलमान (तेली) निवासी सुभाष नगर अजमेर हाल निवासी वार्ड नम्बर 36 बघाना नीमच (म0प्र0)

प्राथीयॉं

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

<u>आदेश दिनांक 26.8.2019</u>

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकिल उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के वकिल ने आवेदन पत्र में वर्णित कथनो को अपनी बहस में बताते हुए विशेष रूप से कथन किया कि प्रार्थीयॉ की सह खातेदारी एवं एकल खातेदार कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की कृषि आराजी ग्राम उॅटडा पटवार क्षैत्र गेगल तहसील अजमेर जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 211 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 212 रकबा 0.2900 हैक्टैकयर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 220 रकबा 0.1800 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 222 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.3300 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 419/3800 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.2800 हैक्टैयर खसरा नम्बर 424 रकबा 0.0400 हैक्टैयर कुल खसरा नम्बर 10 कुल रकबा 2.2600 हैक्टैयर भूमि एवं खसरा नम्बर 213 रकबा हैटैयर 0.0800 किस्म गे.मु. चाह है। उपरोक्त आराजी में प्रार्थीया अधिकार अभिलेख/जमाबंदी में इन्द्राज हिस्से अनुसार काबिज काश्त है अन्य किसी सह खातेदार का कोई आराजी बाबत दखल–अन्दाजी नही है। प्रार्थीया सद्‌भाविक काश्तकार है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 (24) के तहत कृषक है एवं प्रार्थीया कृषि कार्य के अलावा अन्य कोई आजिविका का स्त्रोत नहीं है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

फिया पुत्री अलानूर खॉं है किन्तु वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सहवन से फेया पुत्री अलानूर खॉं अंकित हो गया है जो इन्द्राज दुरूस्त किये जाने योग्य प्रार्थीया का वास्तविक नाम काफिया है सरकार दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी का स्तविक व शुद्व नाम काफिया है । जो उपरोक्त वर्णित आराजी के अधिकार भिलेख में माफिया दर्ज है जो शुद्व अंकन नही है वास्तविक नाम काफिया किया ाना आवश्यक है ताकि एक आम काश्तकार सरकार योजनाओ का परिलाभ प्राप्त र सके । राज्य सरकार द्वारा काश्तकारो के नाम व जाति में इन्द्राज दुरूस्त करने बत हाल ही में परिपत्र जारी किया गया है जो कमांक प. 4(1) राज6 / 2002 / 16 यपुर दिनांक 28.12.2017 को जारी किया गया है। जिसमें माननीय न्यायालय को जस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में अधिकार पद्वत्त किये गये है ाति नाम गलत इन्द्राज होने की दशा पर माननीय न्यायालय द्वारा जांच कर धारा 36 में जाति नाम दुरूस्त कर सकते है। प्रार्थीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैक ायरी, पहचान पत्र, पेन कार्ड में भी प्रार्थीया का वास्तविक नाम काफिया दर्ज है शुद्व नाम माफिया के स्थान पर काफिया वास्तविक नाम किया जाकर इन्द्राज ुरूस्ती के आदेश प्रदान करावे। अतः सहवन से / त्रुटिवश इन्द्राज माफिया पुत्री अलानुर खां हो गया है जिसके स्थान पर वास्वतिक नाम काफिया पुत्री अलानुर खां केये जाने के आदेश प्रदान करावे। साथ ही प्रार्थी अभिभषक ने लिखित बहस प्रस्तुत की ।

अप्रार्थी की और से राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस में निवेदन किया गया कि प्राथीयॉ सहवन से / त्रुटिवश इन्द्राज माफिया पुत्री अलानुर खां हो गया है जिसके स्थान पर वास्वतिक नाम काफिया पुत्री अलानुर खां किये जाने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई । इस हेतु प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से जमाबंदी सवंत 2041 के खाता संख्या 41 व 42 नया अवस्थित ग्राम उटडा की भूमि के मूल खातेदार अलानूर खॉं वल्द दलाल खां रहे है। जिनके स्वर्गवास के पश्चात ग्राम पंचायत डटडा द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 03.09.2010 के तहत प्रार्थीया का नाम काफिया पुत्री अलानूर खां दर्ज है जिन भूमि के भू–प्रबन्ध कार्यवाही पश्चात प्रमाणित मिलान क्षैत्रफल के तहत नवीन खसरा नम्बर कायम करते हुए वर्तमान खाता संख्या 56 व 57 में इन्द्राज किया गया है परन्तु पिलिकीय त्रुटिवंश प्रार्थिया का नाम काफिया पुत्री अलानूर खां के स्थान पर माफिया पुत्री अलानूर खा अंकित कर दिया गया है। जिसे लिपिकीय त्रुटि होने से तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 20.8.2019 से भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है।

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीयॉ का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम उटडा तहसील अजमेर के वर्तमान खाता संख्या 56 में अंकित नामान्तकरण संख्या 842 दिनांक 8.11.2010 में प्रार्थिया के नाम दुरूस्ती की जाकर माफिया पुत्री अल्लानूर खां के स्थान पर जरिये नामान्तकरण काफिया पुत्री अलानूर खां की दुरूस्ती किये जाने के आदेश तहसीलदार अजमेर को दिये जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेगा।

आदेश आज दिनांक 26.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner